सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ, 1945 (श०)

संख्या - 48 राँची, बुधवार, 31 जनवरी, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

4 अगस्त, 2022

संचिका सं०-5/स०भू० पाकुड़ (क्षतिपूरक वनरोपण)-162/2021-2658(5)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय :- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**29.07.2022** में मद संख्या-**29** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में पाकुड़ जिलान्तर्गत अंचल-पाकुड़ के मौजा- बरमासिया एवं सीतागढ़, अंचल-महेशपुर के मौजा-राधाकिष्टोपुर, जलोकुण्डी, पीपरजोड़ी, सिंगना, सिरिसतल्ला एवं सदानंदपुर तथा अंचल-हिरणपुर के मौजा-पिपरजोरिया एवं दलदली के विभिन्न थाना संख्या, खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या में स्थित कुल रकबा-**289.17** एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म-जंगल साल, जंगल-झाड़ी, पहाड़ी,

पुरातन पतित एवं डुंगरी पहाड़ भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-**I**) राजस्व विभागीय संकल्प सं**0-4306/**रा०, दिनांक-**24.10.2014** की कंडिका-**2(i**) के अनुसार निर्धारित दर के आलोक में प्रस्तावित भूमि का मूल्य निर्धारित दर पर संगणित सलामी की राशि **22,61,59,857/- (**बाईस करोड़ इक्सठ लाख उनसठ हजार आठ सौ संतावन) रूपये तथा सलामी का पाँच (**05)** प्रतिशत वार्षिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि **28,26,99,829/- (**अठाईस करोड़ छब्बीस लाख निन्यानवे हजार आठ सौ उनतीस) रूपये एवं लगान का **145** प्रतिशत सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि **40,99,14,781/- (**चालीस करोड़ निन्यानवे लाख चौदह हजार सात सौ इक्यासी) रूपये अर्थात् कुल देय राशि **91,87,74,467/- (**इक्यानवे करोड़ सतासी लाख चौहत्तर हजार चार सौ सड़सठ) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-**II**) की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी भूहस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

I. इस शर्त्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षो की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।

II. उपायुक्त, पाकुड़ प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।

III. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा । परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, पाकुड़ यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची/संस्था द्वारा भुगतेय होगा । एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।

IV. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची/संस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

V. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची/संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची/संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची/संस्था

को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

VI. अपण् अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/रा0,** दिनांक-**24.10.2014** एवं खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

VII. उपरोक्त संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय राज्यादेश सं**0-2237,** दिनांक-**05.07.2022** को निरस्त समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**

अंजनी कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

संचिका संख्या-5/स०भू० पाकुड़ (क्षतिपूरक वनरोपण)-162/2021-2658/रा०

<u>अनुलग्नक-I</u>

<u>प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-</u>

क्र.	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	दाग सं०	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (ए० में)	भूमि का किस्म
1	05/2021-22	पाकुड़	बरमासिया	25	24	722	11.80	गैरमजरूआ खास, किस्म-जंगल साल।
2	04/2021-22	पाकुड़	सीतागढ़	40	35	11	10.84	गैरमजरूआ खास, किस्म-जंगल साल।
3	26/2021-22	महेशपुर	राधाकिष्टोपुर	121	32	467	5.94	गैरमजरूआ खास, किस्म- पुरातन पतित।
4	18/2021-22	महेशपुर	जलोकुण्डी	47	11	56, 40, 24	28.00 9.48 + 6.59 ——— 44.07	गैरमजरूआ खास, किस्म- पहाड़ एवं पुरातन पतित।
5	20/2021-22	महेशपुर	पीपरजोड़ी	12	39	210, 642	34.49 + 9.50 ——— 43.99	गैरमजरूआ खास, किस्म- पुरातन पतित एवं झाड़ी।
6	19/2021-22	महेशपुर	सिंगना	163	52	1090	18.00	गैरमजरूआ खास, किस्म-जंगल झाड़ी।
7	17/2021-22	महेशपुर	सिरिसतल्ला	90	61	34	16.21 5.39	गैरमजरूआ खास, किस्म- पहाड़ एवं

			सदानंदपुर	64	22, 61	80, 92	+ 16.1 ——— 37.70	पुरातन पतित।
8	02/2021-22	हिरणपुर	पिपरजोरिया	77	31	255	14.68	गैरमजरूआ खास, किस्म- जंगल झाड़ी। एवं डूंगरी पहाड़ ।
			दलदली	81	61	814	50.95	
						1097	25.80	
						812	22.00	
						677	+ 3.40 ——— 116.83	
						कुल-	**289.17**	

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

संचिका संख्या-5/स०भू० पाकुड़ (क्षतिपूरक वनरोपण)-162/2021-2658/रा०

अनुलग्नक-II

प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में) बाज़ार दर प्रति एकड़ X कुल एकड़	व्यवसायिक वार्षिक लगान(सलामी का 5%) (रूपये में)	वार्षिक लीज़ रेंट का पूंजीकृत मुल्य (लगान X 25 गुणा	देय सेस का पूंजीकृत मुल्य(लगान के 145% का 25 गुणा) (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (6+8+9)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	05/2021-22	बरमासिया	11.80	782100	9228780	461439	11535975	16727175	37491930
2	04/2021-22	सीतागढ़	10.84	782100	8477964	423898	10597450	15366300	34441714
3	26/2021-22	राधाकिष्टोपुर	5.94	782100	4645674	232284	5807100	8420295	18873069
4	18/2021-22	जलोकुण्डी	44.07	782100	34467147	1723357	43083925	62471700	140022772
5	20/2021-22	पीपरजोड़ी	43.99	782100	34404579	1720229	43005725	62358300	139768604
6	19/2021-22	सिंगना	18.00	782100	14077800	703890	17597250	25516025	57191075
7	17/2021-22	सिरिसतल्ला सदानंदपुर	37.70	782100	29485170	1474259	36856475	53441889	119783534
8	02/2021-22	पिपरजोरिया दलदली	116.83	782100	91372743	4568637.15	114215928.75	165613096.75	371201768.5
कुल-			**289.17**	**--------**	**226159857**	**11307993.15**	**282699828.75 या 282699829**	**409914780.75 या 409914781**	**918774466.5 या 918774467**

अर्थात् 91,87,74,467@& (इक्यानवे करोड़ सतासी लाख चौहत्तर हजार चार सौ सड़सठ) रूपये मात्र ।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 48 - 50